



भारत का गज़तपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 674] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 15, 1991/कार्तिक 24, 1913

No. 674] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 15, 1991/KARTIKA 24, 1913

इस भाग में खिल पृष्ठ संख्या वी जाती है जिससे कि यह असाधारण के उप-भाग
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

पर्याप्तरण और वन मंदालय

(पर्याप्तरण, वन और वन्यजीव विभाग)

प्रतिमूलगार्थ

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 1991

का.पा. 778 (प्र)।—वैनीय मरकार, लोक वादिया बीमा अधिनियम, 1991 (1991 का 6) की धारा 19 द्वारा प्रवत्त गवितयों का प्रयोग करने हुए, उन अधिनियम की धारा 12 के अवैत इसमें निहित गवितयों इस शर्त के अवैत रहते हुए, संवित राज्य सरकारों को उन्हें अवनो-प्रवर्ती अधिकारिता में प्रयोग करने के लिए प्रत्यायोजित करती है कि केंद्रीय मरकार, शरितयों के लिए प्रत्यायोजन का सभी या किसी एक या अधिक राज्य मरकारों के संबंध में प्रतिसंहृष्ट ऊर योगी या अधिनियम की ऊर अथ के उपर्योग का स्वयं अकान्त्र से सकेगी यदि केंद्रीय मरकार को शाय में लोकान्त्र में ऐसा करना आवश्यक है।

[का.पा. 18 (3)/91-पो एल]

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS
(Department of Environment, Forests and Wildlife)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 15th November, 1991

S.O. 779 (E).—In exercise of the powers conferred by section 19 of the Public Liability Insurance Act, 1991 (6 of 1991) the Central Government hereby delegates the powers vested in it under section 12 of the said Act to the respective State Governments, to exercise the same within their respective jurisdiction subject to the condition that the Central Government may be revoke such delegation of powers in respect of all or any one or more of the State Governments or may itself invoke the provisions of above section of the Act, if in the opinion of the Central Government such a course of action is necessary in public interest.

[F. N. 18(3)/91-PL]

का.पा. 780 (प्र) :—केन्द्रीय सरकार लोक धार्याल, बीमा अधिनियम, 1991 (1991 का 6) की आरा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की आरा 9, 10 और 11 के अधीन इसमें निहित शक्तियां, इस जर्ते के अधीन रहते हुए राज्य सरकारों को, उन्हें प्रपनी-प्रपती अधिकारिता में प्रयोग करने के लिए और सभस्त मारत के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रत्यायोजित करती है कि केन्द्रीय सरकार शक्तियों के ऐसे प्रत्यायोजन का सभी या किसी एक या अधिक राज्य सरकारों या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संबंध में प्रतिसंहरण कर सकेगी या अधिनियम की ऊपर आराओं के उपर्योग का स्वयं अवलम्ब ले सकेगी, यदि केन्द्रीय सरकार की राय में लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है।

[का.सं. 18 (3)/91-प्र एन]

मुकुल सांवल, संयुक्त सचिव

S.O. 780(E).—In exercise of the powers conferred by the section 19 of the Public Liability Insurance Act, 1991 (6 of 1991), the Central Government hereby delegates the powers and functions vested in it under sections 9, 10 and 11 to the State Governments to exercise the same within their respective jurisdiction and to the Central Pollution Control Board for the whole of India, subject to the condition that the Central Government may revoke such delegation of powers in respect of all or anyone or more of the State Governments or the Central Pollution Control Board, or may itself invoke the provisions of the above sections of the Act, if in the opinion of the Central Government such a course of action is necessary in public interest.

[F. No. 18(3)/91-PL]

MUKUL SANWAL, St. Secy.